

28/3/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपरि पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 3/5/18...को प्रस्तुत हो।

24/4/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 अभियान ग्राम पंचायत... 78.9.B में आयोजित होने के कारण पेशी में ली गई। सम्बन्धित पक्षकारान को वास्ते तलबी नोटिस/ सम्मन जारी होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक... 4/5/18 पेश हो।

4/5/18

न्याय आपके डार कैम्प 78.9.B में पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रतिवादीगण-उपस्थित प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि वादपत्र में उल्लिखित शक्ति के संबंध में किली प्रकार व्यवस्था नहीं की गई है तथा नाही भविष्य में करेंगे। स्टेट की ओर से ~~किसी~~ तहसीलदार ने भी कोई आपसी नहीं लेना बताया गया। कतः वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए अप्रतिवादीगण ~~को~~ 142 को स्याई निषेधका से पाबंद किया जाता है कि एक 87.9.B के मु नं 295/424 के किल्ला नं 6 का 0.063; 7 का 0.013, 14 का 0.177, 15, 16, 17 का 0.93 हेक्टर व किल्ला नं 11 का 0.063 ~~20 का~~, 21 का 0.101, 21/2 का 152, 22 का 25 कुल 1.581 हेक्टर कुल तादाती 2.517 हेक्टर- रजिस्ट्रार शक्ति में किली प्रकार की व्यवस्था नहीं करने से बाज व समझ रहे।

Noddyent
Cm
DAR

तहसीलदार
न. 295/424

निर्णय मुझे क्षम सुनया जाकर मुझे फेर डार लिखवाया गया।

पत्रावली कैवल मुन्दा होकर 4/5/18

दाखिल हो।

(मनमोहन प्रीता)